कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़

'सी' ब्लॉक, तृतीय मंजिल,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर
फोन नं. 0771-2582799, 2582088 फैक्स नं. 0771-2583050
E-mail : atc.cg@nic.in & cgtransportoffice@gmail.com

क्रमांक 2225/तक./टीसी/2016 नया रायपुर, दिनांक 26/08/2016

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, छत्तीसगढ़।
2. समस्त प्रभारी परिवहन उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़।
3. अध्यक्ष, ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़।
4. समस्त वाहन डीलर्स, छत्तीसगढ़।

विषय :– मोटरयान व्यवसायी (डीलर) को नये मोटरयानों के भौतिक जांच के प्रयोजन हेतु "निरीक्षण प्राधिकारी" के रूप में अधिकृत करने संबंधी छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 28 जूलाई, 2016 का प्रेषण।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत मोटरयान व्यवसायी (डीलर) को नये मोटरयानों के भौतिक जांच के प्रयोजन हेतु राज्य शासन द्वारा "निरीक्षण प्राधिकारी" के रूप में अधिकृत किये जाने संबंधी छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 28 जूलाई, 2016 का प्रकाशन किया गया है। नोटिफिकेशन की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(ओ.पी. पाल)
अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक 2225-A/तक./टीसी/2016 नया रायपुर, दिनांक 26/08/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह जेल एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. तकनीकी अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय नया रायपुर।
4. प्रोजेक्ट हेड, मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड, रायपुर छ.ग.।

26/8/16

अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016—श्रावण 21, शक 1938

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 886/945/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार विभाग को दिनांक 13-06-2016 से 17-06-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, कौशल विकास, तकनीकि शिक्षा तथा रोजगार विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 6924/1820/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अनुप कुमार साहू, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 6926/1820/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजीव बेरीवाल, अधिवक्ता को फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायगढ़ में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 5-4/आठ-परि./2016.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 44 एवं धारा 65 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, समस्त मोटरयान व्यवसायी (डीलर), जिन्हें नये मोटरयानों के विक्रय हेतु अधिकृत किया गया है, को परिवहन यानों से भिन्न अन्य यानों के भौतिक जांच के प्रयोजन हेतु "निरीक्षण प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त करती है जो यह जांच करेगा कि पंजीयन के आवेदन में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां सत्य है और वाहन उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों की अपेक्षाओं का पालन करता है.

No. F 5-4/viii-Trans/2016.—In exercise of the powers conferred by section 44 and clause (b) of sub-section (2) of Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, appoints all authorized motor vehicle dealers, who are authorized for sale of new motor vehicles, as "Inspecting Authority" for the purpose of physical inspection of vehicles other than transport vehicles, to check that the particulars contained in the application of registration are true and the vehicle complies with the requirements of said Act and rules made thereunder.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.